



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 वैशाख, 1947 (श०)

संख्या - 204 राँची, बुधवार,

30 अप्रैल, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

22 मार्च, 2025

दिनांक 12.03.2025 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान **PB-III** 15,600-39,100/- ग्रेड पे 7600/- पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-12) के निम्नांकित पदाधिकारियों को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान **PB-IV** 37400-67000- ग्रेड पे 8700/ पुनरीक्षित वेतनमान लेवल- 13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है:-

1) संख्या-03/प्रोन्नति-02-02/2024 का. 1772--श्री चन्द्र भूषण सिंह झांप्र०से० (कोटि क्रमांक- 856/24, गृह जिला राँची), बन्दोबस्त पदाधिकारी, दुमका को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल- 13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री सिंह को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

2) संख्या-03/प्रोन्नति-02-02/2024 का. 1773--श्री रामवृक्ष महतो झांप्र०से० (कोटि क्रमांक 860/24, गृह जिला राँची), उप सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री महतो को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

3) संख्या-03/प्रोन्नति-02-02/2024 का. 1774--मो० मुमताज अली अहमद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 862/24, गृह जिला हजारीबाग), उप निदेशक जनजातीय कल्याण एवं कार्यक्रम आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय (अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग), झारखण्ड, राँची (अतिरिक्त प्रभार- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान-लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए मो० अहमद को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

4) संख्या-03/प्रोन्नति-02-02/2024 का. 1775--श्री राकेश कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 25/20, गृह जिला भागलपुर), उप सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री कुमार को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

5) संख्या-03/प्रोन्नति-02-02/2024 का. 1776--श्री प्रणव कुमार पाल, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 42/20, गृह जिला जामताड़ा), संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान- लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए श्री पाल को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

II. झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 के आलोक में उक्त नव प्रोन्नत पदाधिकारियों को प्रोन्नत पद का वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएँ पदस्थापित पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगी।

III. विभागीय संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 कंडिका- 2(iii) एवं (v) के आलोक में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के ऐसे पदाधिकारियों जिनकी अनुशंसा मुहरबंद लिफाफा में रखी जा रही है, उनके आरोप मुक्त होने की स्थिति में मुहरबंद लिफाफा में अनुशंसा के आधार पर यदि उन्हें प्रोन्नति प्रदान किया जाता है तो उसके फलस्वरूप जिस कोटि में उन्हें प्रोन्नति प्रदान की जायेगी उस कोटि के प्रोन्नत अंतिम पदाधिकारी को पदावनत किया जायेगा।

IV. उपरोक्त 4 एवं 6 में अंकित पदाधिकारियों झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रथम बैंक पदाधिकारी इनकी प्रोन्नति CDI, ACB, Ranchi Case No. RC 05(A)2012-AHD-R के काफी प्रभावित होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव।
